कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थायें
अलवर (राज)

रजिस्ट्रार

क्रमांक फा संस्था रजि. /

श्री सचिव

शिक्षित स्वस्थ विश्वास समिति अलवर

जिला अलवर

अलवर, दिनांक 16.10.02

विषयः- राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत संस्था रजिस्ट्रीकरण के बारे में।

आपकी संस्था का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र क्रमांक 485/अल/2002-03 दिनांक 16.10.02 संलग्न है, जिसकी प्राप्ति की सूचना भिजवाने का कष्ट करें। यहाँ आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 4 व 4 (क) की ओर भी आकर्षित किया जाता है। जिसके प्रावधानों के अनुसार आपको प्रतिवर्ष आम सभा के 14 दिवस में निम्नलिखित सूचनायें भेजना जरूरी है-

1. संस्था के मामलों का प्रबन्ध जिसको सौंपा गया है, उस परिषद, समिति या अन्य शासी निकाय के शासकों, संचालकों, न्यासियों या सदस्यों के नाम पते और और पेशे की सूचना मय पद के।
2. एक विवरण पत्र जिसमें उपरोक्त सदस्यों के नाम आदि उस वर्ष, जिस वर्ष की सूची है, के दौरान हुये समस्त परिवर्तनों के दिखाया गया हो।
3. संस्था के नियमों और विनियमों की तारीख एक सही प्रतिलिपि जो शासी निकाय के शासकों, संचालकों न्यासों या सदस्यों में से कम से कम तीन सदस्यों द्वारा सही प्रमाणित की गई हो।

इसके अलावा संस्था के नियमों और विनियमों में किये गये प्रत्येक परिवर्तन की प्रतिलिपि जो उपरोक्त रीति से सही प्रमाणित की हुई हो, ऐसा परिवर्तन करने की तारीख से पन्द्रह दिन के अन्दर-अन्दर इस कार्यालय को पहुँच जानी चाहिये।

आपका ध्यान इस अधिनियम की धारा 4 (ख) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार उपरोक्त प्रावधानों का पालन करने से विफल रहने वाला अपराध सिद्ध होने पर, ऐसे अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा, जो पाँच सौ रुपये तक का हो सकता है तथा लगातार भंग होने की दशा में और ऐसे अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो प्रत्येक दिन के लिये जिसमें कि ऐसे अपराध के लिये प्रथम अपराध सिद्ध के पश्चात चूक जारी रहता है, पचास रूपये से अधिक नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति धारा 4 के अधीन प्रस्तुत की गई सूची में या धारा 4 (क) के आधीन रजिस्ट्रार को भेजे गये विवरण पत्र या नियमों और निनिमयों की या उनमें किये गये परिवर्तनों की प्रतिलिपि में जानबूझकर कोई मिथ्या प्रविष्टि या लोप करता या करवाता है तो अपराध सिद्ध होने पर ऐसे अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा जो दो हजार रूपये तक का हो सकता है।

नोटः इस कार्यालय से भविष्य में किसी प्रकार का पत्र व्यवहार करते समय संस्था का रजिस्ट्रेशन नं० वर्ष अंकित करें।

रजिस्ट्रार संस्थायें
अलवर (राजस्थान)

रजिस्ट्रार, संस्थाऐं
अलवर (राजस्थान)

संलग्नः मूल प्रमाण-पत्र

लिटिल फ्लावर शिक्षा समिति/~~सोसायटी~~/~~संस्थान~~ अलवर (राज०)

509

संघ विधान-पत्र

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम लिटिल फ्लावर ~~पब्लिक स्कूल~~ शिक्षा समिति ~~समिति/सोसायटी/संस्थान~~ है व रहेगा

2. पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय 38, मुल्तान नगर नया दाउदपुर अलवर (राज०) 301001 है तथा इसका कार्यक्षेत्र जिला अलवर (राज०) क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. संस्था का उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है -

(1) छात्र एवं छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए सभी सुविधाऐं जुटाने का प्रयास करना।

(2) हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत शिक्षा के प्रचार व प्रसार के लिए स्कूल खोलना व प्रबन्ध संचालन करना।

(3) छात्रों को अध्ययन के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा देना।

(4) बच्चों को सामाजिक शिक्षा के लिए प्रेरित करना।

(5) छात्र व छात्राओं को देश सेवा व समाज सेवा के लिए प्रेरित करना व उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास करना।

(6) यह संस्था एक चैरीटेबिल संस्था के रूप में कार्य नहीं करेगी, जिसमें कोई लाभ निहित नहीं होगा।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

4. संस्था का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम पदाधिकारी निम्नलिखित है :-

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पता	पद
1.	प्रदीप बक्शी S/o श्री टेकचन्द बक्शी	किसान	6/21, N.E.B अलवर (राज०)	अध्यक्ष
2.	राजेन्द्र बक्शी S/o गिरधारीलाल	अध्यापन	38, लक्ष्मी [illegible] अलवर	उपाध्यक्ष
	पुनीत विरमानी S/o इन्द्रजीत विरमानी	अध्यापन	7, दयानगर, [illegible] पास, नया दाउदपुर अलवर	सचिव
	राजेश विरमानी S/o माया रानी	अध्यापन	4/481, काला कुआ हाउसिंग बोर्ड,	कोषाध्यक्ष
	पुरूषोत्तम दास भाटी S/o लक्ष्मण दास भाटी	अध्यापन	A-14, स्कीम नं० 10 अलवर	सदस्य
	उमेश रायजादा S/o भगवान स्वरूप	अध्यापन	80, आदर्श कालोनी, दाउदपुर	सदस्य
	प्रेम विरमानी S/o चन्दुराम	अध्यापन	गांव-[illegible], पो० [illegible] त० कोटकासिम अलवर	सदस्य

मन्त्री Sunil Virmani

कोषाध्यक्ष Paresh

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं - इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक है-

क्र.स.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्णपता	हस्ताक्षर
1	प्रदीप बक्शी S/o टेकचन्द्र बक्शी	~~अध्यापन~~ किसान	6/81 N.E.B. अलवर (राज०)	Baxshi
2.	राजेन्द्र [illegible] S/o गिधारीलाल	अध्यापन	38, लाल डिग्गी के पीछे अलवर (राज०)	Rajender
3.	सुनील विरमानी S/o इन्द्रजीत विरमानी	अध्यापन	7. दयानगर, नयाबास [illegible] अलवर (राज०)	Sunil Vermani
4	राजेश विरमानी S/o मायारानी	अध्यापन	4/481, काला कुआ हाउसिंग बोर्ड अलवर (राज०)	Rajesh
5.	पुरुषोत्तम दास माटा S/o लक्ष्मणदास माटा	अध्यापन	A-14, [illegible] अलवर (राज०)	purshotam
6.	उमेश रायजादा S/o भगवानस्वरूप	अध्यापन	80, आदर्श कॉलोनी अलवर (राज०)	उमेश
7.	प्रेम विरमानी S/o धन्नुराम विरमानी	अध्यापन	गाव-साढ़ुका, पो०-[illegible]	प्रेम [illegible]
8	सुशील कुमार सिंह S/o रामचन्द्र	अध्यापन	C/O-[illegible] राजा पब्लिक स्कूल, [illegible] अलवर (राज०)	सुशील
9	हरीश मुरिजा S/o रामकृष्ण	अध्यापन	4/69 N.E.B अलवर (राज०)	[illegible]
10	भूपेन्द्र सिंह S/o शीतल सिंह	अध्यापन	4/270 N.E.B अलवर (राज०)	भूपेन्द्र

1. संस्था का पंजियन क्रमांक 485/अलवर/2002-03
2. संस्था का नाम [illegible]
3. [illegible]
4. दस्तावेजों की संख्या [illegible]
5. पंजियन दिनांक 16-10-02
6. हस्ताक्षर रजिस्ट्रार [illegible]

हम निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्त्ताओं को हम जानते है व उन्होंने हमारे समक्ष अपने हस्ताक्षर किये है। हम यह भी घोषित करते है कि हम संस्था के सदस्य नहीं है।

Attested

हस्ताक्षर प्राध्यापक विद्यालय

नाम / व्यवसाय / पूर्णपता

Attested

हस्ताक्षर

नाम / व्यवसाय / पूर्णपता

अध्यक्ष

Sunil Vermani
मन्त्री

Rajesh
कोषाध्यक्ष

नाम लिटिल फ्लावर शिक्षा समिति/~~सोसायटी~~/~~संस्थान~~ अलवर (राज०)

विधान (नियमावली)

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम लिटिल फ्लावर शिक्षा समिति/~~सोसायटी~~/~~संस्थान~~ अलवर (राज०) है व रहेगा

2. पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय 38, मुल्तान नगर, नया दाउदपुर, अलवर (राजस्थान) 301001 है तथा इसका कार्यक्षेत्र जिला अलवर (राज०) क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. संस्था का उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है -

(1) छात्र व छात्राओं के सर्वांगिण विकास के लिए सभी सुविधाऐं जुटाने का प्रयास करना।

(2) हिन्दी, अंग्रेजी व संस्कृत शिक्षा के प्रचार व प्रसार के लिए स्कूल खोलना व प्रबन्ध करना।

(3) छात्रों को अध्ययन के साथ-साथ व्यवसायिक शिक्षा देना।

(4) बच्चों को सामाजिक शिक्षा के लिए प्रेरित करना।

(5) छात्र व छात्राओं को देश सेवा व समाज सेवा के लिए प्रेरित करना व उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास करना।

(6) यह संस्था एक चेरीटेबिल संस्था के रूप में कार्य नहीं करेगी। जिसमें कोई लाभ निहित नहीं होगा।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

4. सदस्यता - निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे

1 संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।
2 बालिग हों।
3 पागल, दीवालिये न हों।
4 संस्था के उद्देश्यों में भाव व आस्था रखते हों।
5 संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5. सदस्यों का वर्गीकरण - संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत भी किये जा सकेंगे।

1 संरक्षक
2 विशिष्ठ
3 सम्माननीय
4 साधारण

Ravi Kaushik — अध्यक्ष   Sunil Veermani — मन्त्री   Rajesh — कोषाध्यक्ष

6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा

उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा।

1 संरक्षक - राशि.....वार्षिक / आजन्म
2 विशिष्ठ - राशि.....वार्षिक / आजन्म
3 सम्मानीय - राशि.....101.....वार्षिक
4 साधारण- राशि.....101.....वार्षिक

उक्त राशि एक मुश्त अथवा रुपये.....
की मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।

7. सदस्यता से निष्कासन

संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा

1 मृत्यु होने पर
2 त्याग पत्र देने पर
3 संस्था के विपरित काम करने पर।
4 प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8. साधारण सभा

संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे -

9 साधारण सभा

साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्त्तव्य होंगे -

1 प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना
2 वार्षिक बजट पारित करना
3 प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।
4 संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन परिवर्तन तथा परिवर्धन करना। (रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाईल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर लागू होगा।

10 साधारण सभा की बैठक

1 साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2 साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।
3 बैठक की सूचना 7 दिवस पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जावेगी।
4 कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुन: सात दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थागित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता भी नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो एजेण्डा में थे।
5 संस्था 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें जो भी कम हो के लिखित आवेदन करने पर मन्त्री /अध्यक्ष द्वारा एक माह के अन्दर बैठक आहुत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष /मन्त्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक एवं मान्य होंगे।

Sunil Verma
मन्त्री

Parag
कोषाध्यक्ष

11 कार्यकारिणी का गठन

संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे।

1	अध्यक्ष	एक
2	उपाध्यक्ष	एक
3	मन्त्री	एक
4	उपमन्त्री	एक
5	कोषाध्यक्ष	एक
6	सदस्य	दो

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पद नाम परिवर्तन किये जावे तो वहाँ अंकित करें कम रखना चाहें तो कम रख लें।

वह इस प्रबन्धकारिणी में चार (4)

पदाधिकारी व तीन (3) सदस्य कुल सात (7)

सदस्य होंगे।

12 कार्यकारिणी का निर्वाचन

1 संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।

2 चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा। चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13 कार्यकारिणी के अधिकार और कर्त्तव्य

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्त्तव्य होंगे।

1 सदस्य बनाना निष्कासित।
2 वार्षिक बजट तैयार करना।
3 संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
4 वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके भत्तों का निर्धारण करना।
5 साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।
6 कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियाँ बनाना।
7 अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो, करना।

14 कार्यकारिणी की बैठकें

1 कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी। लेकिन आवश्यकता न होने पर बैठक अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2 बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
3 बैठक की सूचना प्राय: 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।
4 कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुन: दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आमसभा में करना आवश्यक है।

अध्यक्ष

मन्त्री

कोषाध्यक्ष

15 प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य

संस्था की प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगे -

अध्यक्ष

1 बैठकों की अध्यक्षता करना।
2 मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
3 बैठकें आहुत करना।
4 संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
5 संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।
6 अन्य।

उपाध्यक्ष

1 अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
2 प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

मन्त्री

1 बैठक आहूत करना।
2 कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड करना।
3 आय व्यय पर नियन्त्रण करना।
4 वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन या यात्रा बिल आदि पास करना।
5 संस्था प्रतिनिधित्व करना कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
6 पत्र व्यवहार करना।
7 सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

उप मन्त्री

1 मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना
2 अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी / मन्त्री द्वारा सौंपे जावें।

कोषाध्यक्ष

1 वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।
2 दैनिक लेखों पर नियन्त्रण करना।
3 चन्दा शुल्क / अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
4 अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न कराना।

16 संस्था कोष

संस्था का कोष निम्न प्रकार संचित होगा -

1 चन्दा
2 शुल्क
3 अनुदान
4 सहायता
5 राजकीय अनुदान
   1 उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित की जावेगी।
   2 अध्यक्ष / मन्त्री / कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन-देन सम्भव होगा।

अध्यक्ष

मन्त्री

कोषाध्यक्ष

17 कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार

1 संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे।

1 अध्यक्ष...3100.........रुपये

2 मन्त्री......2100.........रुपये

3 कोषाध्यक्ष...1100..........रुपये

उक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा।

18 संस्था का अंकेक्षण

संस्था के समस्त लेखे जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। जिसकी एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाई जावेगी।

19 संस्था के विधान में परिवर्तन

संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा समाशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा के अनुरूप होगी।

20 संस्था का विघटन

यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

21 संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण

रजिस्ट्रार संस्थाएँ अलवर एवं उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि को संस्था के निरीक्षण का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिए गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) लिटिल फ्लावर शिक्षा समिति अलवर (राज०) समिति / सोसायटी / संस्थान की सही व सच्ची प्रतिलिपि है।

अध्यक्ष

मन्त्री Sunil Vermani

कोषाध्यक्ष

रजिस्ट्रार संस्थाएं अलवर (राज०)

1. संस्था का पंजीयन क्रमांक 485/अल/2002-03
2. संस्था का नाम लिटिल फ्लावर शिक्षा समिति अलवर
3. किस हेतु पेश संघ विधान नियमावली
4. दस्तावेजों की संख्या ...
5. पंजीयन दिनांक 16-10-02
6. हस्ताक्षर रजिस्ट्रार

प्रमाणित किया जाता है कि यह सत्य प्रति है।
1. हस्ताक्षर पढ़ने वाले के ...
2. हस्ताक्षर मुकाबले वाले के ...
3. नकल हेतु प्रार्थना पत्र देने की दिनांक 16-10-02
4. नकल तैयार करने की दिनांक 16-10-02
5. नकल देने की दिनांक 16-10-02

रजिस्ट्रार संस्थाएं